अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 98/2012

इन्द्रदेव सिंह,

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेषी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 2200 दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जॉच दल के द्वारा जॉच दल सं0–17 श्री इबरार आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, सारण, छपरा के द्वारा इन्द्रदेव सिंह, ज0वि0प्र0वि0 अनुज्ञप्ति सं0–22/2007, पंचायत– मशरक पश्चिमी, थाना– मशरक, प्रखंड–मशरक की दूकान की जॉच की गई थी। जॉच के कम में, विक्रेता की दूकान से संबंधित निम्न अनियमितताएँ पाई गई– 1. लाभुकों का सूची प्रदर्शित नहीं 2. संयुक्त नमूना प्रदार्शित नहीं। 3. अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना। 4. निरीक्षण/शिकायत पुस्तिका का संधारण नहीं। 5. कैशमेमो नहीं देना। 6. उठाव की सूचना निगरानी समिति को नहीं देना एवं उसके देख–रेख में वितरण नहीं करना। 7. प्रति लीटर 17 रूपये तेल देना। अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 523/गो0 दिनांक 19.03.2012 से विक्रेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 2200 दिनांक 24.07.2012 से विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।	

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि लाभूकों की सूची पहले हाथ से लिखा हुआ टंगा जाता था। जनवरी 2002 में कप्यूटराईज सूची प्राप्त हुई थी, जिसे विक्रेता के द्वारा चिपकाया जाता था। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल कार्यालय मे सभी कागजात एवं पंजी जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोंक में कागजात जमा करा कर विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ रशिद सलग्न किया गया। विक्रेता के द्वारा उपभोक्ताओं के बीच सभी सामग्री का वितरण कर दिया गया था, इसलिए भंडार में चावल, गेहूँ अथवा किरासन तेल उपलब्ध नही था, इसलिए संयुक्त नमूना प्रदर्शित नही था। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। विक्रेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै पाता हूँ कि अपीलार्थी के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के कारण पृच्छा का दिया गया जवाब संतोषजनक नही है। जॉच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि लाभूकों की सूची प्रदर्शित नही थी। निरीक्षण, शिकायत पुस्तिका एवं कैशमेमों की मांग किए जाने के बावजूद विक्रेता के द्वारा उसे प्रस्तुत नही किया गया। अपीलार्थी के द्वारा उठाव एवं वितरण की सूचना भी निगरानी समिति के सदस्यों को नही दी जाती है। न ही निगरानी समिति के सदस्यों की देख–रेख में वितरण कराया जाता है। जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न उपभोक्ताओं के बयान से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि की वसुली की जाती है एवं निर्धारित मात्रा से कम मात्रा मे सामग्री दी जाती है। अतः अपीलार्थी के द्वारा दिए गए अपील आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 2115 /दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।
15/01/16